पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 296 / 2024

अनवान :

1. चुनीलाल पुत्र दीपाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड न0 09 शेरेका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितिः–1 अधिवकता श्री रामस्वरूप भादू :–वादी

2 राजपैरोकार

डिक्री दिनांक 30/10/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री रामस्वरूप भादू व राजपैरोकार अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं0 3 एच. एम. एच के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 53/53 में अंकित वादी का नाम चुनीराम पुत्र दीपाराम के स्थान पर नाम दुरूस्त कर चुनी[illegible] पुत्र [illegible] किया जावे । अगर प्रार्थी पर कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधी[illegible] तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार टिब्बी को आदेशि[illegible] यदि कृषि भूमि बैंक [illegible] रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्[illegible]न नही हो तो उपरोक्[illegible] राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.11.14 14:37:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/10/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.11.14 14:37:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner